

मु० न०:- 41 / 2023

तारीखरजू:- 12/4/23

उनवान:- बहादुरसिंह बनाम छोटू सिंह
दावा बाबत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
12/4/23	<p>वादी की ओर से श्री हरीश चर्ज फुडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारहक, तकारमा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 05.05.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
12/3	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी श्री. वि. व. प. चोटी पत्रावली गतानुसार दिनांक... 05.05.23 को पेश हो।</p>
3	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी श्री. वि. व. प. चोटी पत्रावली गतानुसार दिनांक... 07.05.23 को पेश हो।</p>
12/3	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी श्री. वि. व. प. चोटी पत्रावली गतानुसार दिनांक... 08.05.23 को पेश हो।</p>
31.8.23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी को 10, 11, 12 के नोटिस प्राप्त हुए जो विधिवत तापिल हुये हैं शेष प्रतिवादी गण के सम्मन छप्राप्त। वादी वकील शेष प्रतिवादी गण के सम्मन पुनः पेश कर पत्रावली दिनांक 12.10.23 को पेश हो।</p>
12/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासीन अधिकारी श्री. वि. व. प. चोटी के गतानुसार दिनांक 11.12.23 को पेश हो।</p>

1369-82
12/4/23



दिनांक	फर्द अहकाम
11.12 23	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० लगा० 9, 13, 14 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई। वास्ते तलबी पेश करने दिनांक 30.1.2024 को पेश हो। (5)
30.1 24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वास्ते तलबी दिनांक 29.2.24 को पेश हो। (5)
29.2 24	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पुनः वादी के उमय में अपडेट पधारेंगे पत्रावली गतानुसार दिनांक... 2.11.24 को पेश हो। (5)
8.4.24	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... राजकाश के उमय पक्ष पधारेंगे पत्रावली गतानुसार दिनांक... 24.5.24 को पेश हो। (5)
24.5.24	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील की उपस्थिति नहीं बार बार आवेग दिवई गई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थिति नहीं हुआ इसलिये वादी का दावा वादी एवं वादी वकील की वास्तविकता के उमय हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश अनुसार डी.ए. नम्बर में काम कर हासिल उपर है। (5)